


9.6/16 पन्नावली, राजस्व लोक अदालत सिविल
केपेक्षाद्वारा उभय पक्ष वाकजूद सूचना के
अनुपस्थित रहे। पन्नावली के अधिलेखकों के
आता होता है कि उभय पक्षों को शान्ति एवं
अवश्य ले करवा करार के लिए प्रारम्भ
अस्यै निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है
उभय पक्षों के पावन किया जाता है कि
विवारित वर्षों 1429/1776, 1453, 1454, 1455
1456, 1457, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1480,
1481, 1482, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491
1492, 1493, 1494, 1498, 1499, 1500, 1501, 1548
कुलकिला 28 आके ग्राम कोटापुरा रिकार्ड
एवं मौके की स्थिति अद्यावत बनाये रखने
के लिए पावन किया जाता है। पन्नावली फल
सुमा देकर नम्बर ले करकी जाकर वाद लक्ष्मी
दाखिल इफ्तार की जाये।

निर्णय कुल राजस्व लोक अदालत के सुमा
अपना


उप जिला कलेक्टर
हिण्डौन सिटी, जिला करौली